भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 845

उत्तर देने की तारीख : 04.12.2025

दमन और दीव में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

845. **श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेलः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले दस वर्षों में दमन और दीव में स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या वर्ष-वार कितनी है;

(ख) दमन और दीव में नए उद्यमों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत स्वीकृत कुल ऋणों की संख्या और राशि कितनी है;

(ग) पिछले दस वर्षों में दमन और दीव में केंद्र सरकार की ब्याज अनुदान योजनाओं के तहत लाभान्वित हुए विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या वर्ष-वार कितनी है; और

(घ) दमन और दीव की स्थानीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (घ) : उद्यम पंजीकरण पोर्टल दिनांक 01.07.2020 को शुरू किया गया था। दिनांक 30.11.2025 तक, दमन और दीव जिले में उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत एमएसएमई की कुल संख्या निम्नानुसार है:

जिला	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
दमन	988	1,150	1,504	3,937	2,373	1,362	**11,314**
दीव	61	88	208	424	487	222	**1,490**
कुल	**1,049**	**1,238**	**1,712**	**4,361**	**2,860**	**1,584**	**12,804**

वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2024-25 तक प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत दमन और दीव में सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या, संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी और संस्वीकृत ऋण का विवरण इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	एमएम (लाख में)	संस्वीकृत ऋण (लाख रुपए में)
2016-17	2	2.71	7.32
2017-18	3	12.22	33.18
2018-19	0	0.00	0.00

2019-20	3	3.76	11.34
2020-21	2	9.80	26.60
2021-22	3	7.56	28.72
2022-23	3	10.85	33.16
2023-24	6	42.09	118.01
2024-25	3	8.11	30.83

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता और आउटरीच प्रदान करने की पहल के तहत, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 2 नवंबर, 2018 को "एमएसएमई को इंक्रीमेंटल क्रेडिट के लिए ब्याज सब्वेंशन स्कीम 2018" की घोषणा की। यह स्कीम सभी उद्योग आधार संख्या (यूएएन) और जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई को 100 लाख रुपए तक के नए या इंक्रीमेंटल क्रेडिट पर 2% ब्याज सब्वेंशन प्रदान करती है। इस स्कीम का उद्देश्य विनिर्माण और सेवा दोनों उद्यमों (व्यापारिक गतिविधियों सहित) को उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ऐसे एमएसएमई जो पहले से ही राज्य/केंद्र सरकार की किसी भी स्कीम के तहत ब्याज सब्वेंशन का लाभ उठा रहे हैं, वे भी इस स्कीम के लिए पात्र नहीं हैं। यह स्कीम दिनांक 31.03.2021 तक वैध थी। दमन और दीव जिलों में कुल 462 एमएसएमई, एमएसएमई इंक्रीमेंटल क्रेडिट के लिए ब्याज सब्वेंशन स्कीम से लाभान्वित हुए हैं।

*****